International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 15
November 2017

73वाँ संविधान संशोधन व महिला अधिकार

पूजा सिंह
शोध छात्र राजनीति विज्ञान विभाग
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
Email-poojasingh0807@gmail.com

पंचायतीराज व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का साधन है। इसके माध्यम से लोकतंत्र को धरातल या जमीनी स्तर पर ले जाने का प्रयास किया जाता है। केन्द्र एवं राज्य की सत्ता का बँटवारा करके स्थानीय महत्व के मुद्दों को स्थानीय स्तर पर पंचायतीराज संस्थाओं को शक्ति सौपा जाता है जिससे लोगों की सहभागिता शासन सत्ता में बढ़ सके।

पंचायतीराज संस्थाओं की स्थापना का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से और सशक्त करना है तथा ऐसी व्यवस्था स्थापित करना जिससे भविष्य में अधिक शक्ति और उत्तरदायित्व का हस्तान्तरण किया जा सके और स्थानीय जनता अपने मामलों का प्रबन्धन स्वयं करें तथा सत्ता में जीवन्त सहभागी बने। इससे शासन क्षेत्र में कार्यकुशलता आयेगी। ग्रामीण जनता को उनके राजनीतिक अधिकारों की जानकारी मिलती है इससे उनकी राजनीतिक, सामाजिक चेतना बढ़ती है।[1]

भारत में पंच एवं पंचायतें तो प्रारम्भ से ही रही है लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात आधुनिक परिस्थितियों को देखते हुए इसे स्थायी सशक्त एवं मजबूत स्वरूप प्रदान करने के लिए 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू कर दिया गया।[2]

संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर उसमें 29 विषयों का उल्लेख किया गया तथा अनु0 243 (A-Q) तक जोड़ा गया है। इस संशोधन की कुछ विशेषताएँ इस प्रकार है–

पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा–यह संशोधन लाते समय कहा गया कि यह पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक बनाने के लिए लाया गया। इसके पूर्व यह नीति निदेशक सिद्धान्तों में अनु0–40 में था किन्तु अब इसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। यह विकेन्द्रीकरण की दिशा में सशक्त कदम है।

ग्राम सभा की महत्ता–पंचायतीराज व्यवस्था को जीवन्त, ऊर्जावान तथा गतिशील बनाने तथा धरातल पर लोकतंत्र को लाने के लिए ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा मिला। ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। ताकि लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जमीनी स्तर पर अनुभव लें। लेकिन आज 20 वर्षो बाद भी ग्राम सभाओं की नियमित बैठकें नहीं होती। कागजी कार्यवाही के लिए बिना नियमों का पालन किये ग्रामसभा की बैठको को चुप–चाप बुला लिया जाता है।

त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था: अनु0 243(बी) यह उपबंध करता है प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर, एवं जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जायेगा लेकिन 20 लाख से कम जनंसख्या वाले राज्यों को मध्यवर्ती इकाई के गठन से छूट है। लेकिन व्यवहार में देखा जा रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था से क्षेत्राधिकार को लेकर असामंजस्य पैदा हो रहा है।

पंचायतीराज संस्थाओं का प्रत्यक्ष निर्वाचन– अनु0 243(सी) 2 में राज्य सरकार के विधानमंडल को अधिकार है निर्वाचन संबंधी विधि का निर्माण करने का। पंचायतों में तीनों स्तरों के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होता है तथा मध्यवर्ती व जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष है।

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 15
November 2017

पंचायतीराज व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यह चक्रण पद्धति पर आधारित है। इसमें महिलाओं के 1/3 स्थानों का आरक्षण है। पिछड़ी जातियों के लिए 15 प्रतिशत जो अब 4 अक्टूबर 1999से 21 प्रतिशत है, सबसे महत्वपूर्ण सभपति एवं अध्यक्ष के पदों पर भी आरक्षण है। पंचायतीराज संस्थाओं में सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में प्रावधान अनु0 243(एफ) में है।

पंचायतीराज संस्थाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का प्रावधान–अनु0243जी– इस विषय में राज्य विधानमंडल को विधि बनाने का दायित्व है। 11वीं अनुसूची के सम्मिलित विषयों सहित सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास के विशेष संदर्भ में पंचायतों को विधि बनाने का अधिकार है। इसके साथ–साथ पंचायतीराज संस्थाओं में कर लगाने व कोष एकत्रित करने की शक्ति अनु0 243(एच) में, राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनु0 243(आई)में, पंचायतीराज संस्थाओं के लेख व आडिट का प्रावधान। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना। निर्वाचन के मामले में न्यायालय का हस्तक्षेप न होना। अनु0–243(जे0) में कहा गया है कि– निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, निर्वाचन क्षेत्रों के लिए स्थानों का आवंटन आदि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस प्रकार देश में पंचायतीराज संस्थाओं के क्षेत्र में परिवर्तन आया है और उसकी कमियों को दूर करने में मदद मिली है। जैसे ये कमियाँ निम्न हैं– इन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता नहीं थी, इसके अनियमित चुनाव, लम्बे समय तक निलंबित रहना, दयनीय आर्थिक दशा, पर्याप्त शक्तियों एवं अधिकारों का अभाव, अनु0जाति/अनुसूचित जनजाति/पि0जाति/

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 15
November 2017

महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं, इन संस्थाओं के प्रतिनिधि–चुनने के लिए प्रभावी व्यवस्था नही।

इन तमाम समस्याओं को दूर करने में 73वें संविधान संशोधन ने सटीक प्रयास किया है। परन्तु वही कुछ नये प्रकार की समस्यायें भी अब आ रही हैं। जैसे– **आरक्षण का दुरूपयोग–** 73वें संशोधन में अनु0जाति/अनुसूचित जनजाति/ पि0जाति/महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिला है। लेकिन आज भी दबंग अपने अनुसार ऐसे उम्मीदवारों को जितवाते या जितवाने का प्रयास करते है जो उनके अनुसर कार्य करें विशेषकर महिलाओं के संदर्भ में यह देखा गया है कि दबंग व्यक्ति अपने छिपी, शक्ति के आधार पर अपने पत्नी को महिला आरक्षित सीट पर लड़वाकर जिता लेते हैं और स्वयं सम्पूर्ण कार्यों को देखते हैं। इसीलिए प्रधानपति, सरपंचपति जैसे शब्द आज हमारी पंचायती संस्थाओं में देखने को मिलते है।

सरकार का अत्यधिक नियंत्रण– पंचायती संस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण बहुत है वो जब चाहे तब इनके कार्यों में हस्तक्षेप कर सकते है। सरकार इनके बजट पर नियंत्रण रखती है सरकार अपने राजनीति लाभों के लिए अपने शक्तियों का प्रयोग करती है। जैसे– प्रस्तावों पर स्वीकृति देना, सदस्यों को निलंबित/पदच्युत देना, संस्था को ही भंग कर देना।

73वें संविधान संशोधन की राजनीतिक व प्रशासनिक समस्या–

पंचायतों को मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण निरंतर उपलब्ध नहीं होता, नियमों तथा कार्य प्रणाली की जटिलता और अधिकारियों की उदासीनता, पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर सरकार का नियंत्रण होना, पंचायत राज्य सूची का विषय है अतः राज्य सरकारे व्यवहार में कानून बनाकर उनकी शक्ति को सीमित करते रहते हैं। राजनीतिक दलों का अनुचित हस्तक्षेप करना।

सामाजिक समस्या–

अधिकांश गांव में प्रधान/ब्लाक प्रमुख के चयन में अभिजन वर्गों की भूमिका है जिससे पचांयत का लाभ सबको नहीं मिलता है। ग्रामीण स्तर की सभी जातियाँ संगठित होकर शक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं जिससे गांव विभाजित हो रहा है असुरक्षा एवं तनाव बढ़ रहा है। क्रियाहीनता, साम्प्रदायिकता समाजीकरण, जातिवादिता का जटिल होना आदि पहलू पंचायती व्यवस्था के विकास में बाधा है। 73वां संवैधानिक संशोधन अत्यन्त महत्वपूर्ण संशोधन है। इस संशोधन का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर पंचायतीराज व्यवस्था को सशक्त बनाना है जिससे ग्रामीण जनता का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथा राजनीतिक विकास संभव हो सके और उसमें नई जागृति आए। 73वें संविधान संशोधन द्वारा ग्रामीण संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। इसके द्वारा संस्थाओं का कार्यकाल, सत्ता, शक्तियां, उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित कर दिये गये। इस संशोधन द्वारा जनता की भागीदारी को और सुदृढ़ बनाया गया। पंचायतीराज में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना निश्चय ही एक क्रान्तिकारी महत्व है। अतः यही कहा जा सकता है कि 73वाँ संशोधन भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को और भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को और भी लोकतांत्रिक बनाने का एक सार्थक पहल है।[3]

आज स्थिति यह है कि भारतीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए लगभग 22 लाख प्रतिनिधि चुने जाते है। वर्ष 1999–2000 एवं 2009–2010 को ग्राम सभा वर्ष मनाया गया। भारतीय संविधान में आज पंचायतों से सम्बन्धित निम्नलिखित उपलब्ध हैं–

अनु0–243 में परिभाषा–अनु0 243 (A)– ग्रामसभा (B) ग्राम पंचायतों का गठन (C) पंचायतों की संरचना (D)स्थानों का आरक्षण (E) पंचायतों की

अवधि (F) सदस्यों के लिए अयोग्यताएं (G) पंचायतों की शक्तिया, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, अनु0 243 (H): पंचायतों द्वारा कर आरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां, अनु0 243 (I)– वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, अनु0 243(J):– पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, अनु0243 (K)– पंचायतों के लिए निर्वाचन, अनु0 243(L)– संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करना, अनु0 243 (M)– इस (भाग–9) का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना, अनु0 243(N)– विद्यमान विधियों एवं पंचायतों का बना रहना, अनु0 243(O)– निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन।

उपर्युक्त के साथ–साथ पचायतीराज संस्थाओं को 29 विषय मिले हैं जिनमें वे अपने स्तर पर कानून बना सकते हैं–

1. कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार भी है। 2.भूमि सुधार व मृदा संरक्षण 3. लघु सिचाई, जल प्रबंधन और जल आच्छादन विकास 4.पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, कुक्कुट पालन 5. मत्स्य उद्योग 6.सामाजिक वनों उद्योग और फार्म वनो उद्योग 7. लघु वन उत्पादन 8.लघु उद्योग, जिसके अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है 9. खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग, 10.ग्रामीण आवास 11. पेयजल 12. ईधन व चारा 13. पुस्तकालय 14. सांस्कृतिक क्रियाकलाप 15. बाजार और मेले 16. परिवार कल्याण 17. महिला और बाल विकास 18.लोक वितरण प्रणाली 19. प्रौढ ओर अनौचारिक शिक्षा 20. गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत 21. गरीबी अपशमन कार्यक्रम 22.सामुदायिक अस्तियों का अनुरक्षण 23. कमजोर वर्ग (अनु0जाति/अनु0जनजाति) का कल्याण 24.समाज कल्याण (विकलांग और मानसिक रूप से अविकसित सहित) 25.स्वास्थ्य और स्वच्छता (अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय)। 26.तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा 27. शिक्षा, जिसके अन्दर प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा

28 ग्रामीण विद्युतीकरण (इसके अन्दर विद्युत वितरण) 29.सड़के, पुल, नौघाट, जल मार्ग और संचार के अन्य साधन।

पंचायतीराज संस्थाओं की स्थापना लोकतंत्र को धरातल पर ले जाकर जनता की सहभागिता सुनिश्चित करनी है जिससे लोकतंत्र की जड़ें और सशक्त हो तथा अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के ओर अग्रसर हो। इससे सत्ता के शक्तियों का विकेन्द्रीकरण होता है जो लोकतंत्र के सफल होने की शर्त में देखा जाता है।[5]

इस लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण से स्थानीय लोगों को सत्ता में भागीदारी लेने के अवसर मिलते हैं जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक बार सत्ता में शामिल होने का अर्थ है कि वह अपने लिए, अपने समाज के लिए कुछ करने की स्थिति में आ जाता है उसे एक नई पहचान मिलती है।

इन संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय लोग अपने आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानीय स्तर पर ही अपने कल्याण की योजना बनाने का पहल कर सकते हैं और स्वायत्तापूर्वक उन्हें कार्यान्वित कर सकते है। इस प्रकार अगर देखा जाये तो कहा जा सकता है कि व्यक्तियों को अपना समुचित विकास करने के लिए अवसर प्रदान किया है। अनेकों केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय कल्याणकारी भोजनाओं का क्रियान्वयन पंचायती संस्थाओं के माध्यम से हो रहा है। भारत में इन संस्थाओं ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की है क्योंकि सभी वयस्क ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और अपने समस्याओं को वे सीधे उठा सकते है। इस प्रकार आम सभा विधन सभा या लोकसभा जैसी हुई। प्रत्येक ग्रामीण नागरिक अपने भविष्य का निर्धारण करता है तथा स्वशासित रहता है।[6]

भारत में त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था को अपनाया गया है और सभी में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। प्रत्येक स्तर पर एक सामान्य

जन पहुँच सकता है और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि संस्थाओं में उन तबके को विशेष उपबंध किये गये है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से अभी तक पिछड़े थे। प्रत्येक स्तर पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो इसके लिए अनु0जनजाति/ अनु0जाति/ पिछड़ी जाति एवं महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है।

भारत में स्थानीय लोकतंत्र तभी सफल हो पायेगा जब समाज के सभी वर्गों का सुमचित एवं सम्पोषणीय विकास हो, और विशेषकर महिलाओं के सक्रिय भागीदारी के बिना इसकी परिकल्पना करना ही बेईमानी होगी। सम्पूर्ण समाज में महिलाएँ आधे का हिस्सेदार है फिर उनका बिना विकास हुए समाज का विकास कैसे हो सकता है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही शासन ने सबसे सतही स्तर पंचायतों में इनकी सक्रिय भागीदारी हो इसके लिए काफी कुछ नियम/अधिनियम बनाये। पंचायतों में अनु0243(डी) के तहत 1/3 प्रतिशत भाग महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है और विशेष बात ये है कि ये केवल सदस्य के स्तर पर ही नहीं बल्कि ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्ष पद भी आरक्षित है। कुछ राज्यों जैसे बिहार, राजस्थान आदि में तो 50 प्रतिशत तक सीटे महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गयी है।[7]

इससे लगभग 12 लाख महिलाएं निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में आये हैं और अपने अधिकारों को जानने लगी है। महिलाएओं को इतनी अधिक भागीदारी से स्थानीय स्तर पर उनकी साुमदायिक जीवन, चेतना तथा उसकी संस्कृति में बदलाव आ रहा है। एक जो सबसे जयादा उल्लेखनीय है कि निर्वाचित महिलाओं मे सदियों से उपेक्षित दलित, आदिवासी एवं पिछड़ी महिलाएँ भी है। इसे कुछ विद्वानों ने ''मौन लोकतांत्रिक क्रान्ति' का नाम दिया

International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 04 Issue 15
November 2017

है लेकिन इसका एक अन्य पहलू भी है इसमें कोई संदेह नहीं कि पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित हो कर आने से महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिला है। लेकिन इसकी मात्रा क्षेत्र एवं परिस्थिति के अनुसार भिन्न है। जिन पंचायतीराज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों ने स्वयं कार्य संभाला है उनका तो सशक्तीकरण हुआ लेकिन जो महिला प्रतिनिधि अपना घूंघट नहीं हटा पाती, पति एवं परिवार के अनुसार ही कार्य करती है उनका सशक्तीकरण नहीं हुआ। ऐसे प्रतिनिधियों का कार्यभार उनके पति या परिवार का दबंग सदस्य संभालता है। ये आरक्षण का दुरूपयोग करते है। ये दबंग लोग अपने नाम एवं शक्ति के आधार पर अपने प्रतिनिधियों को चुनाव लड़ाते है, जिता भी लेते है और उन प्रतिनिधियों को अपने अनुसार काम करने को मजबूर करते है। इसी से आज समाज में प्रधानपति या सरपंच पति जैसे शब्द उभरकर आये हैं।

राजनीतिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से शासन की गुणवत्ता में सुधार आया है ये अपने से संबंधित मुद्दो को प्रकाश में ला रही है जैसे–खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों का प्रंबधन, आर्थिक तथा जीविका से संबंधित मुद्दों को महत्व मिलने लगा है। इस ओर लोगों ने ध्यान देना भी शुरू कर दिया है। इनका प्रत्यक्ष संबंध महिलाओं से है यह सशक्तीकरण का मजबूत माध्यम भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने 'मनरेगा' जैसे कार्यक्रमों में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया है।[8] महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम मुख्यतः पंचायतों द्वारा लागू किया जा रहा है और वहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहने से इस योजना लाभ लाभार्थियों तक पहुँच पा रहा है। इससे ग्रमीण भारत में महिलाओं में चेतना, जागरूकता, विश्वास पैदा हुआ है। इस प्रकार पंचायतों ने गांव की कमजोर, अशिक्षित, पिछड़े महिलाओं को आगे बढ़झने या उनका सशक्तीकरण करने में मदद मिला है। लेकिन इसमें एक अलग तरह की समस्या भी पनपी है

पहली तो एक महिला ही दूसरे महिला को ज्यादा आगे नहीं बढ़ने देती क्योंकि वह इस विकास को अपने विरूद्ध मान लेती है और दूसरी कि केन्द्र या राज्य द्वारा प्रायोजित जो कार्यक्रम/योजना आती है महिलाओं के लिए वह उनके निरक्षर एवं अशिक्षित होने के कारण इसका सुमचित लाभ नहीं उठा पाती और इसका लाभ अन्य लोग उठाते हैं।

पंचायतीराज संस्थाओं के आने एवं उसमें महिला प्रतिनिधियों के चुने जाने से महिलाओं में विश्वास जगा है वे भी अब आमसभा की बैठकों में शामिल होने लगी है और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है। इसे महिला सशक्तीकरण एवं राजनीतिक सहभागिता के नये युग का शुरूआत हुआ है। इसने न केवल महिलाओं के निर्णय निर्माण क्षमता को बढ़ावा दिया है बल्कि विकेन्द्रीकृत नियोजन में सक्रिय भूमिका निभाई। महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई हैं उनमें अन्याय और शोषण के विरूद्ध आवाज उठाने की हिम्मत बढ़ी है।

लेकिन इन सब में सबसे बड़ी समस्या सामाजिक संरचना, उनकी निरक्षरता, उनकी वित्तीय आत्मनिर्भरता न होना, सांस्कृतिक प्रतिबंध एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों (बच्चों का पालन–पोषण, गृह कार्य, उत्पादन कार्य) है। इन क्षेत्रों में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।[9]

देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण महिला सशक्तीकरण अति आवश्यक है और इसी कारण देश के विकास के लिए महिलाओं को मुख्य धारा में लाना ही सरकार की चिंता है।[10] ग्रामीण महिलाओं का विकास ग्रामीण भारत के विकास का आवश्यक तत्व है। महिला एवं अन्य की समान भागीदारी ग्रामीण समाज एवं देश के संतुलित विकास को बढ़ावा देगी जिससे अंततः लोकतंत्र मजबूत होगा। महिलाओं के सभी स्तरों पर नीति निर्माण से

क्रियान्वयन सक्रिय सहभागिता के बिना समानता सामाजिक न्याय एवं लोकतांत्रिक आदर्शों की प्राप्ति नहीं होगी।

जहाँ 73वें संशोधन ने महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त किया वही केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना ''मनरेगा'' जो पंचायतों के माध्यम से ही क्रियान्वित किया जा रहा है, से महिलाएं आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त हुई है क्योंकि इससे उनके पास रोजगार की गारंटी मिली है।

इससे ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न रूप से बढ़ावा मिला है और अब पुरुष मानसिकता में`भी बदलाव आने लगा है यह एक शुभ लक्षण दिखता है।

सन्दर्भ सूची

1. कटारिया, सुरेन्द्रः भारतीय लोक प्रशासनः नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2012, पृ0सं0395।
2. सईद, एस0एम0ः भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाः भारत बुक सेन्टर, लखनऊ, 2011, पृ0सं0 475—479।
3. नारंग ए0एस0ः भारतीय शासन एवं राजनीतिः गीतांजलि पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2011—12, पृ0सं0 202—204
4. लक्ष्मीकान्त, एमः भारत की राजव्यवस्थाः मैक्ग्राहिल एजुकेशन प्रा0लि0 नई दिल्ली, 2012, पृ0सं0 34.7 से 34.10
5. शर्मा ब्रजकिशोरः भारत का संविधानः पी0एच0आई0 लर्निंग प्रा0लि0 नई दिल्ली, 2010 पृ0सं0 287—90
6. अवस्थी एवं अवस्थीः भारतीय प्रशासनः लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा; 2011, पृ0सं0 503—507
7. वही, पृ0 सं0—507—511
8. कुरुक्षेत्र : जनवरी 2014 पृ0सं0 17—21
9. लोक प्रशासनः अभय कुमारः सिनर्जी नई दिल्ली, पृ0सं0 14—15।
10. लोक प्रशासनः अभय कुमारः सिनर्जी नई दिल्ली, पृ0सं0 6।